मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 6-3/2016/अ-[illegible] भोपाल, दिनांक 8/3/18

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-- मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 में संशोधन बाबत् ।

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 के नियम-6 में इन नियमों के परिशिष्ट "अ" में वर्णित वस्तुएं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित की गई हैं । मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु सामग्री आरक्षण की उपरोक्त व्यवस्था एतद् द्वारा समाप्त की जाती है ।

2. उपरोक्त संदर्भित परिशिष्ट "अ" में वर्णित वस्तुओं का क्रय क्रयकर्ताओं द्वारा नियम 9,10 एवं 11 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार सीधे किया जा सकेगा । इन नियमों के अंतर्गत GeM पोर्टल के माध्यम से भी क्रय किया जा सकेगा । इन वस्तुओं की दरें मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में उपलब्ध होने की दशा में क्रयकर्ता द्वारा निगम के माध्यम से भी सीधे क्रय किया जा सकेगा ।

3. उपरोक्त वस्तुओं अथवा अन्य अनारक्षित वस्तुओं का क्रय GeM पोर्टल से किए जा दशा में दरों की युक्तियुक्तता (Reasonability of Rate) क्रयकर्ता द्वारा प्रमाणित की जा GeM पोर्टल से क्रय की स्थिति में क्रय की जाने वाली सामग्री का कुल अनुमानित रूपये 05.00 लाख (रूपये पाँच लाख) से अधिक होने पर GeM पोर्टल पर निविदा द्वा किया जा सकेगा। इस दशा में निविदा की प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) व नि प्रतिभूति (Performance Guarantee) GeM के प्रचलित प्रावधान अनुसार स्वीकार की जाएगी

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 को अद्यतन कर अधिसूचि की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभावशील होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के ना
तथा आदेशानुसार,

(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम